राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 26/2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्रीमती कमलादेवी पटवारी पत्नि रामनिवास पटवारी, निवासी माण्डल, जिला भीलवाड़ा।	बनाम	1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डल, जिला भीलवाड़ा। 2. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
–प्रार्थिया		अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय निर्णय की अवमानना बमामले अपील अन्तर्गत राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 प्रकरण संख्या 82/2020 निर्णय दिनांकित 16.08.2021

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री आर0पी0 पटवारी।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 11.08.2023

प्रार्थिया की ओर से यह प्रार्थना पत्र बाबत् न्यायालय निर्णय की अवमानना का प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 82/2020 अपील अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 में दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थिया/अपीलार्थिया की अपील स्वीकार कर विपक्षीगण सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल को आदेशित किया गया था कि **"अपीलार्थीया/पेंशनर्स के पेंशन के वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ होने की स्थिति में पेंशनर्स के निवास पर टीम भेजी जाकर भौतिक सत्यापन किया जावें। भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रार्थिया/पेंशनर को पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें एवं मई, 2018 से सत्यापन होने तक की बकाया पेंशन भुगतान किये जाने के संबंध में विभागीय नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।"** प्रार्थिया द्वारा आगे बताया गया कि उक्त आदेश उपरान्त विपक्षीगण द्वारा दिनांक 31.08.2021 को प्रार्थिया/पेंशनर का भौतिक सत्यापन किया गया, किन्तु भौतिक सत्यापन के पश्चात् भी प्रार्थिया/पेंशनर को पेंशन भुगतान नहीं किया गया। अतः विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किये जाने से विपक्षीगण पर नियमानुसार कार्यवाही की जावें एवं प्रार्थिया/पेंशनर को वृद्धावस्था पेंशन जून, 2018 से निरंतरता में दिलायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा